संख्या:42/2017/1355जेएल/22-3-17-100(24)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 12 मई, 2017***

विषय: जिला कारागार, मीरजापुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदीगण-(1)कपिलमुनि करवरिया, (2)उदयभान करवरिया एवं (3)सूरजभान करवरिया पुत्रगण स्व0 वशिष्ठ नारायण करवरिया, निवासी जनपद-इलाहाबाद को पुन: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-15292/सामा-1(3)/नैनी मं0/2016, दिनांक 12-05-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, मीरजापुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदीगण-(1)कपिलमुनि करवरिया, (2)उदयभान करवरिया एवं (3)सूरजभान करवरिया पुत्रगण स्व0 वशिष्ठ नारायण करवरिया, निवासी जनपद-इलाहाबाद को पुन: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदियों को स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति अधीक्षक, जिला कारागार, मीरजापुर द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी**।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:42/2017/1355जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2. जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर/इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद एवं पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
4. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद एवं अधीक्षक, जिला कारागार, मीरजापुर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in